



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

229]
229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2002/फाल्गुन 10, 1923
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2002/PHALGUNA 10, 1923

ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002

का.आ. 268(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 1 (2001 का 52) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, 1 मार्च, 2002 को उस तारीख के रूप में नियत है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 से धारा 29 तक और धारा 1 धारा 62 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 13/2/2001-ईएम(i)]

एस. प्रभाकरन, विशेष सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2002

S.O. 268(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 2002 as the date on which the provisions of sections 1 to 29 and 46 to 62 of the said Act shall come into force.

[F. No. 13/2/2001-EM(i)]

S. PRABHAKARAN, Spl. Secy.